भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1804

10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि वानिकी के लिए सहायता

1804. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पंजाब में गेहूं-धान चक्र से हटकर लकड़ी/कृषि वानिकी खेती की ओर विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी नीतिगत ढांचा और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) यह ध्यान में रखते हुए कि लकड़ी की फसल को परिपक्व होने में आमतौर पर 4-5 वर्ष लगते हैं, क्या अंतरण काल के दौरान किसानों को कोई वित्तीय सहायता, आय सहायता या प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो पात्रता मानदंड और लाभार्थियों का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि वानिकी उप-मिशन या अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण, रखरखाव और जोखिम न्यूनीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने लकड़ी किसानों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए बाजार संपर्क, उद्योग गठजोड़ या मूल्य आश्वासन सहित विपणन और मूल्य शृंखला सहायता तंत्र स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क), (ख) एवं (घ): पंजाब राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में गेहूं-धान चक्र से हटकर वनों पर दबाव कम करने के लिए कृषि वानिकी के माध्यम से फसल विविधीकरण योजना (सीडीएएफ) के तहत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को परिवर्तन काल के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषि वानिकी अपनाने वाले सभी किसान इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। कृषि वानिकी उत्पादों के बाजार को बढ़ावा देने के लिए, राज्य द्वारा कृषि वानिकी लकड़ी पर निर्भर करने वाली लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

(ग): सरकार द्वारा कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) को वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक पंजाब राज्य सहित पूरे देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को नर्सरी विकास, मेढ़ पर वृक्षारोपण, प्रमुख वृक्ष प्रजातियों के ब्लॉक वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस अवधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए पंजाब को 10.3595 करोड़ रुपये जारी किए गए। वर्ष 2023-24 से इस मिशन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के कृषि वानिकी घटक के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसमें गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है । पंजाब ने इस घटक को नहीं चुना है।

अनुबंध

पंजाब में कृषि वानिकी के माध्यम से फसल विविधीकरण (सीडीएएफ) परियोजना के अंतर्गत लागत मानदंड और वित्तीय सहायता का ढ़ांचा

क्र. सं.	विवरण	क्लोनल यूकेलिप्टस के अतिरिक्त किसी भी कृषि वानिकी वृक्ष की खेती/रोपण								क्लोनल यूकेलिप्टस की खेती/रोपण							
		परिधीय/मेढ़ पर और कम घनत्व वाले वृक्षारोपण				उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण				परिधीय/मेढ़ पर और कम घनत्व वाले वृक्षारोपण				उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण			
		1 से 625 पौधे प्रति हेक्टेयर।				625 से अधिक पौधे/हेक्टेयर				1 से 625 पौधे/हेक्टेयर				625 से अधिक पौधे/हेक्टेयर			
		सांकेतिक मूल्य 120 रुपये प्रति पौधा				सांकेतिक इकाई लागत 75000 प्रति हेक्टेयर				सांकेतिक इकाई मूल्य 100 प्रति पौधा				सांकेतिक इकाई लागत 62500 प्रति हेक्टेयर			
		रोपण वर्ष	प्रथम वर्ष रखरखाव	द्वितीय वर्ष रखरखाव	कुल लागत (रुपये)	रोपण वर्ष	प्रथम वर्ष रखरखाव	द्वितीय वर्ष रखरखाव	कुल लागत (रुपये)	रोपण वर्ष	प्रथम वर्ष रखरखाव	द्वितीय वर्ष रखरखाव	कुल लागत (रुपये)	रोपण वर्ष	प्रथम वर्ष रखरखाव	द्वितीय वर्ष रखरखाव	कुल लागत (रुपये)
1	**कुल परियोजना लागत प्रति पौधा/हेक्टेयर**	60 रूपए प्रति पौधा	30 रूपए प्रति पौधा	30 रूपए प्रति पौधा	120 रूपए प्रति पौधा	37500 रूपए प्रति हेक्टे.	18750 रूपए प्रति हेक्टे.	18750 रूपए प्रति हेक्टे.	75000 रूपए प्रति हेक्टे.	50 रूपए प्रति पौधा	25 रूपए प्रति पौधा	25 रूपए प्रति पौधा	100 रूपए प्रति पौधा	31250 रूपए प्रति हेक्टे.	15625 रूपए प्रति हेक्टे.	15625 रूपए प्रति हेक्टे.	62500 रूपए प्रति हेक्टे.
2	**50:25:25 के अनुपात में 50% वित्तीय सहायता**	30 रूपए प्रति पौधा	15 रूपए प्रति पौधा	15 रूपए प्रति पौधा	60 रूपए प्रति पौधा	18750 रूपए प्रति हेक्टे.	9375 रूपए प्रति हेक्टे.	9375 रूपए प्रति हेक्टे.	37500 रूपए प्रति हेक्टे.	25 रूपए प्रति पौधा	12.5 रूपए प्रति पौधा	12.5 रूपए प्रति पौधा	50 रूपए प्रति पौधा	15625 रूपए प्रति हेक्टे.	7813 रूपए प्रति हेक्टे.	7813 रूपए प्रति हेक्टे.	31250 रूपए प्रति हेक्टे.
3	**किसान का लाभ (50%)**	30 रूपए प्रति पौधा	15 रूपए प्रति पौधा	15 रूपए प्रति पौधा	60 रूपए प्रति पौधा	18750 रूपए प्रति हेक्टे.	9375 रूपए प्रति हेक्टे.	9375 रूपए प्रति हेक्टे.	37500 रूपए प्रति हेक्टे.	25 रूपए प्रति पौधा	12.5 रूपए प्रति पौधा	12.5 रूपए प्रति पौधा	50 रूपए प्रति पौधा	15625 रूपए प्रति हेक्टे.	7813 रूपए प्रति हेक्टे.	7813 रूपए प्रति हेक्टे.	31250 रूपए प्रति हेक्टे.

*****